फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

...ार्थी :– प्रकाश कुमावत पुत्र अणदाराम वगैरह **बनाम** :– **अप्रार्थी**:–हजारी पुत्र कालु वगैरह

किस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र:– 158/22 **मु.नं.** 158 **/सन : 2022**

...रीख ...हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
...9.2022	वकील प्रार्थीगण उपस्थित।	

वकील प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा निमान II पटवार हल्का निमाज II तहसील जैतारण खसरा नम्बर 1535 रकबा 1.7725 हैक्टर, ख.नं. 1536 रकबा 2.2905 हैक्टर, ख.नं. 1536/1 रकबा 0.0809 हैक्टर कुल रकबा 3.1323 हैक्टर भूमि आयी हुई हैं। वर्णित आराजी में राजस्व रेकर्ड अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 से 6 के पिता व अप्रार्थी सं. 07 एवं अप्रार्थी सं. 01 अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज है। उक्त आराजी प्रार्िगण एवं अप्रार्थी सं. 02 से 06 कर पैतृक पुश्तेनी हैं। प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 2 से 6 के पिता व 7 के पति अणदाराम का देहान्त हो चुका है। उक्त सम्पूर्ण आराजी में 1/2 हिस्सा आता हैं। राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं, जिसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा नही हो रखा हैं, कानूनन बंटवाड़ा नही होने से कई कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा हैं। प्रार्थीगण को बंटवाड़ा करने हेतु कहा तो उल्टा धमकिया दी कि बिना बंटवाड़ा करवये ही प्रार्थीगण को बेदखल कर किसी अजनबी क्रेतागण को बैचान हस्तान्तरण कर मौके पर कब्जा कर देंगे। बिना बंटवाड़ करवाये ही रहन बैचान हस्तान्तरण करने पर आमदा हैं, प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का जब तक बंटवाड़ा नही हो जाता तब तक प्रार्थी के हक हिस्से की आराजी मे दखलदांजी, बेदखल नही करे, रहन बैचान हस्तान्तरण आदि नही करने व वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं किसी प्रकार का नव निर्माण आदि नही करने हेतु अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा सेपाबंन्द किये जाने की ईस्तदुआं की हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अधिवक्ता प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया गया, अतः आगामी तारीख पेशी तक वादग्रस्त आराजी का बैचान हस्तान्तरण आदि नही करने एवं वर्तमान भू–अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नही करने हेतु उभयपक्षकारान् को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक / विरूद्ध उभयपक्षकारान् इस आशय की जारी की जाती हैं कि सरहद मौजा निमान II पटवार हल्का निमाज II तहसील जैतारण खसरा नम्बर 1535 रकबा 1.7725 हैक्टर, ख.नं. 1536 रकबा 2.2905 हैक्टर, ख.नं. 1536/1 रकबा 0.0809 हैक्टर कुल रकबा 3.1323 हैक्टर भूमि आयी हुई हैं। आगामी तारीख पेशी तक वादग्रस्त आराजी का बैचान हस्तान्तरण आदि नही करने एवं वर्तमान भू–अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नही करने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना में तलबाना / नोटिसेज तीन दिवस में पेश करें। तलबाना पेश होने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिसेज ... जारी ... क्यों नहीं उक्त आदेश को वाद निर्णय तक पुख्ता किया जावे। पत्रावली आ... 02.11.2022 वास्ते जवाब प्रा0प0 पेश हो।

1021 / 27/9/22

सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2022.11.23 10:48:51 IST
Reason: SelfAttested

21/11/22 पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थीगण का मूल वाद अं० जरिये विड्रोल
खारिज हो चुका है मूल वाद खारिज किया जाता है

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
प्रकाश चन्द्र कुमावत Sd/-	एवं मन द्वारा पत्रावली प्राप्त है कोई कार्यवाही अवशेष नहीं रहने एवं जमानतीय होने से स्वयं आदेश से निस्तारित करते हुए पत्रावली प्राप्त रवाना किया जाता है पत्रावली कौसल शुमार होकर नस्तार से कल से बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेखा) प्रकाश जाए हो Sd/-

Signature Not Verified

Digitally signed by Devyani
Date: 2022.11.23 10:48:51 IST
Reason: SelfAttested